



2026: AHC: 25468

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - **503/2026**

हरिंद्र राजभरयाची

बनाम

राजस्व परिषद उ.प्र. एवं अन्यप्रतिवादीगण

याची(गण) के अधिवक्ता: दीक्षा गुप्ता, सिद्धार्थ श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याची के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मुनेश्वर सिंह को सुना गया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत निगरानी संख्या 2076 वर्ष 2022 (उदय नारायण सिंह बनाम हरेंद्र राजभर एवं अन्य) को निर्धारित समय के भीतर तय करने हेतु प्रतिवादी संख्या 1/राजस्व परिषद, उ.प्र., प्रयागराज को निर्देशित करने के लिए एक परमादेश रिट की मांग करते हुए दायर की गई है।
3. याची के अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर निगरानी, जिसमें याची को विपक्षी पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया गया है और जो उ.प्र. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत कार्यवाही से उत्पन्न हुई है, वर्ष 2022 से प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष लंबित है। उन्होंने लंबित कार्यवाही

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



की आदेश तालिका भी प्रस्तुत की ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मामले में त्वरित गति से कार्यवाही नहीं हो रही है।

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका को प्रतिवादी संख्या 1 को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि वह संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से, संबंधित पक्षों को कानून के अनुसार सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, उपर्युक्त कार्यवाही को यथासंभव शीघ्रता से, अधिमानतः 3 महीने की अवधि के भीतर, इसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाएँ।

5 फरवरी, 2026

सी. प्रकाश

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"